कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2016 दिनांक 18.07.2023 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016 विषय संस्कृत (टीएसपी/नॉन–टीएसपी) में निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यथियों को संभाग आवंटन एवं नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आदेशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा पदस्थापन हेतु वरियता क्रम का निर्धारण प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 में वर्णित शर्तों तथा संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(7) शिक्षा–2/2016 जयपुर दिनांक 02.07.2020 एवं समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अध्याधीन दिनांक 24.07.2023 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु दिये विकल्प अनुसार एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर संलग्न सूची अनुसार **वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार **लेवल–11** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय **नियत मानदेय रुपये 26500/– प्रतिमाह** (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियमानुसार) पर निम्नानुसार नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है।

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा–2016 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबीएसएडब्लू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। शेष शर्ते आयोग के पत्रांक 734 दिनांक 13.04.2023, 967 दिनांक 15.05.2023 तथा विभिन्न विषयों के प्रथम संभाग आंवटन पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (फिक्स रेमुनरेशन) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटोतियां नियमानुसार की जायेंगी
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Director
Date: 2023.07.24 16:53:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4361812

5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
9. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे। सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को देवें।
12. कार्यग्रहण करवाते समय पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
13. आवेदक द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका की पालना करने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **16.08.2023** तक शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर मंडल, अजमेर

क्रमांक : संयु.नि./स्कू.शि./अज./संस्था–4/विविध/फा–व.अ. संस्कृत (2016)/2023/3439 दिनांक : 24.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय से दिनांक 25.07.2023 को प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थी
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली

(शौकत अली देशवाली)
अति.जिला शिक्षा अधिकारी
कार्या.संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर

Signature Valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Director
Date: 2023.07.24 16:53:50 IST
Reason: Approved

कार्यालय–संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

क्रमांक–संनि/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था–4/विविध/फा–व.अ.संस्कृत (2016)/2023/3439 दिनांक–24.07.2023

वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016) पदस्थापन आदेश

S.N.	CANDIDATE PHOTO	ROLL NO.	MERIT NO.	NTSP/TSP	NAME	FATHER NAME	BIRTHDATE	CATE.	SEL.CAT.	H.CAT.	POSTING PLACE
1		202933	R-15	NTSP	RAM PRATAP	HARI RAM	05/07/1982	GEN	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAU (219844) (08140803101) NAGAUR
2		277070	R-21	NTSP	MOHAN LAL SHARMA	RADHE SHYAM SHARMA	01/04/1995	GEN	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJOSI (214342) (08210408701) AJMER
3		195159	R-22	NTSP	ARVIND KUMAR PAREEK	BHERU LAL PAREEK	19/04/1979	GE, RG	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALIYAS (214394) (08240113607) BHILWARA
4		288187	R-31	NTSP	MUKESH	SANWAL RAM	08/09/1982	GE, WE	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOONI (222135) (08220504018) TONK
5		403887	R-41	NTSP	ANITA KUMARI	DEVENDRA SINGH	02/04/1985	GE, WE	GENF		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAINPURA (214386) (08240111203) BHILWARA

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Director
Date: 2023.07.24 16:53:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4361812

S. N.	CANDIDATE PHOTO	ROLL NO.	MERIT NO.	NTSP /TSP	NAME	FATHER NAME	BIRTHDATE	CATE.	SEL.CAT.	H.CAT.	POSTING PLACE
6		421736	R-343	NTSP	SURESH KUMAR	RATNA RAM	20/05/1990	BC	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIDIYAD (219554) (08140402401) NAGAUR
7		356237	R-345	NTSP	KIRTI NAGAR	BAJRANG LAL NAGAR	07/07/1992	BC, WE	OBCF		GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KADERA (221849) (08210809903) AJMER
8		430102	R-348	NTSP	SURESH KUMAR RAMAWAT	PURSHOTAM LAL SHARMA	08/03/1981	BC	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REN (219533) (08140308323) NAGAUR
9		511895	R-358	NTSP	SANWAR LAL TELI	MITTU LAL TELI	01/07/1991	BC	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEOLIYA KALAN (221754) (08210700105) AJMER
10		364067	R-1036	NTSP	BABU LAL	DHARM PAL	12/09/1987	SC	SCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BASSI PARBATSAR NAGAUR (219549) (08140401405)
11		332726	R-1039	NTSP	RAKESH KUMAR RAIGER	JAMMAN LAL RAIGER	17/06/1985	SC	SCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBOLA BHUNDEL KHINWSAR NAGAUR (219872) (08141207404)

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Director
Date: 2023.07.24 16:53:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4361812